फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर मुकाम लोहावट

महीराम बनाम तहसीलदार लोहावट वगैरा

किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थना पत्र संख्या 06/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/03/24.	उपस्थित :– अधिवक्ता श्री महीराम विश्नोई। अप्रार्थी.सं. 02 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कडवासरा। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम की खातेदारी अधिकारो की भूमि ग्राम लुम्बारामनगर लोहावट पटवार हल्का लोहावट विश्नावास तहसील लोहावट के खेत खसरा नम्बर 2549/2 रकबा 1.0441 हैक्टेयर किस्म बारानी 3 तथा अप्रार्थी संख्या 2 के खातेदारी अधिकारो की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2549 रकचा 9.3887 हैक्टेयर किस्म बारानी–3 की भूमि स्थित है। उक्त भूमि मुल खसरा नम्बर 2549 रकवा 64.90 बीघा भूमि थी जिसमे से प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा 6 बीघा 09 बिस्वा भूमि जरिये बख्सीसनामा से बख्सीस की गयी तथा रजिस्टर्ड बख्सीसनामा के आधार पर प्रार्थी के नाम खातेदारी भूमि दर्ज कर अलग अलग खाते कायम कर प्रार्थी के बंट में खसरा नम्बर 2549/2 रकवा 1.0441 हैक्टेयर भूमि व अप्रार्थी संख्या 2 बंट में खसरा नम्बर 2549 रकबा 9.3887 हैक्टेयर भूमि रखी गयी उसी अनुसार मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा कास्त चला आ रहा है मौके पर प्रार्थी के ढाणी, टाका बना हुया है। उक्त खसरा नम्बर 2549/2 रकवा 1.0441 हेक्टेयर भूमि पर प्रार्थी का नजरी नक्शा में स्थान ए.बी.सी.डी. की जगह तरमीम नहीं होकर मौके पर कब्जे के विपरित तरमीम कर दी गयी है लेकिन सेंग्रीगेशन के दौरान तरमीम करते समय प्रार्थी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2549/2 की तरमीम जमावन्दी के रकबे अनुसार व प्रार्थी के कब्जा काश्त नजरी नक्शे अनुसार नही की जाकर भुल से कब्जा कास्त के विपरित तरमीम कर दी गई है जो गलत की गई है जिसे शुद्धि करवाने का प्रार्थी अधिकारी है राजस्व कर्मचारियो की भूलवंश से नक्शा में खसरा नम्बर 2549/2 की गलत तरमीम को सही कर के सेग्रीगेशन के दौरान राजस्व रेकर्ड में शुद्धिकरण करने के लिये प्रार्थी ने श्रीमान तहसीलदार लोहावट नक्शा में गलत तरमीम को शुद्धिकरण करवाने के प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिस पर तहसीलदार द्वारा सक्षम न्यायालय से शुद्धिकरण करवाने का कहने पर प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र नक्शा ट्रेश व सेग्रीगेशन तरमीम को शुद्धि करवाने का यह प्रार्थना पत्र पेश । राजस्व रेकर्ड जमावन्दी व राजस्व नक्शा ट्रेश में तरमीम गलत रूप से दर्ज कर दिया जाता है तो धारा 136, 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम श्रीमान को लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर की हैसियत से गलत रिकार्ड को दुरस्त करने का अधिकार प्राप्त है। अप्रार्थी संख्या 2 मूल खातेदार है तथा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 के बीच लोकअदालत की भावना से राजीनामा पेश हो चूका है तथा राजीनामें के साथ संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्त करवाने पर सहमत है। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं राजीनामा मय नजरी नक्शा का अवलोकन	

उप खण्ड अधिकारी
लोहावट जिला फलौदी

Scanned with CamScanner

किया गया।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम लुम्बारामनगर लोहावट पटवार हल्का लोहावट विश्नावास तहसील लोहावट के खसरा नम्बर 2549/1 रकबा 1.0441 हैक्टेयर भूमि की नक्शा ट्रेस में गलत तरमीम को शुद्धिकरण कर तहसीलदार लोहावट को आदेश दिया जाता है प्रार्थी की जमाबन्दी में अंकित रकबा अनुसार नक्शा में स्थान मार्क ए. बी.सी.डी. अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करें। नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम हो दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज राष्ट्रीय लोक अदालत में दिनांक 09/03/24 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी लोहावट जिला फलोदी

उप खण्ड अधिकारी
लोहावट जिला फलोदी

डॉ. अर्चना व्यास, आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी लोहावट

Scanned with CamScanner